"लैंगिक समानता" – महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक प्रयास

Dr. Beena Yadav,

Associate Professor,
Dept. of B.Ed.,
Khun Khun ji Girls P.G. College, Lucknow.

शोध सारांश

स्त्री और पुरूष नैसर्गिक रूप से बिना किसी भेदभाव के अवतरित होते है लेकिन अवतरण के दूसरे दिन से ही हमारा समाज उनमें भेद–भाव करना शुरू कर देता है। एक स्त्री जीवन पर्यन्त इस भेद–भाव का शिकार रहती है यद्यपि इस भेद–भाव पर समाज में जागरूकता आने लगी है, और बहुत से भेद–भाव को दरकिनार कर बहुत सी महिलाओं ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सफलता का झंडा गाड़ दिया है, लेकिन ऐसी महिलाओं की संख्या मुट्ठी भर ही है। समाज की आधी आबादी का अधिकतर हिस्सा आज भी समान अवसरों से वंचित है। लैंगिक भेद–भाव को दूर करने के लिए जहां स्त्रियों के साथ–साथ पुरूषों को भी जागरूक करना है, वहीं पुरूषों के समान ही स्त्रियों को अवसर की समानता उपलब्ध कराने के साथ रोजगार एवं वित्तीय अधिकार दिया जाना अत्यन्त जरूरी है। लैंगिक असमानता दूर होने से न सिर्फ लैंगिक भेद–भाव दूर होगा वरन् देश की वित्तीय, शैक्षिक एवं सामाजिक परिवेश में भी अमूल–चूल परिवर्तन दिखाई देगा।

आज के बदलते परिवेश में देशकाल परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक– अर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में घर, परिवार, समुदाय राष्ट्र एवं विश्व में यूं तो व्यापक रूप से बदलाव दिखने को मिल रहा है, लेकिन लैंगिक समानता आज भी दूर की कौड़ी है। सारे विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों एंव समानता की दुहाई देने वाले राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका में एक भी महिला राष्ट्रपति पद तक नहीं पहुंच सकी, यही स्थिति मध्य पूर्व के देशों की भी है। इस दृष्टि से दक्षिण एशिया की उपलब्धि अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक है, भारत में (स्व0) इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री, प्रतिभा पाटिल देश की राष्ट्रपति, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन लोकसभा की स्पीकर, (स्व0) सुषमा स्वराज विदेश मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, (स्व0) जयललिता, मायावती, सैयदा अनवरा तैमूर, वसुंधरा राजे, सुचेता कृपलानी, ममता बनर्जी, राबड़ी देवी आदि अनेक महिलाएं अपनी–अपनी प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवा चुकी हैं। अनेक महिलाओं ने राज्यपाल के पदों के दायित्वों को निभाया है। निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक महिला न्यायाधीशों की धाक रही है। राजनीति, शिक्षा, विज्ञान, वकालत, सैन्य सेवाएं, चिकित्सा एवं अन्य सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति तो दर्ज की है लेकिन वे पुरूषों के समकक्ष बराबरी के स्तर पर नहीं हैं।

लैंगिक समानता क्या है?

समानता एक सुन्दर और सुरक्षित समाज की वह नींव है, जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है।

सवाल ये है कि लैंगिक समानता क्या है? आखिर क्यों यह किसी भी समाज और राष्ट्र के लिए एक आवश्यक तत्व बन गया है? क्या बदलते समाज में यह प्रासंगिक है? लैंगिक समानता का अर्थ यह नहीं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक लिंग का ही हो, बल्कि लैंगिक समानता का सीधा सा अर्थ समाज में महिला तथा पुरूष के समान अधिकार, दायित्व तथा रोजगार के अवसरों के परिप्रेक्ष्य में है। इसी तथ्य के मद्देनजर सितम्बर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में एजेण्डा 2030 के अन्तर्गत ''17 सतत विकास लक्ष्यों'' का रखा गया। जिसे भारत सहित 193 देशों ने स्वीकार किया। इन लक्ष्यों के सतत विकास लक्ष्य 5 के अन्तर्गत लैंगिक समानता के विषय को भी शामिल किया गया है। स्पष्ट है कि हमारे समाज के विकास के लिए लैंगिक समानता अति आवश्यक है। महिला और पुरूष समाज के मूल आधार है। लैंगिक असमानता सोच समझकर बनाई गई एक खाई है। जिसमें समानता के स्तर को प्राप्त करने का सफर बहुत मुश्किल हो जाता है।

महिला सशक्तीकरण एवं लैंगिक समानता

सशक्तीकरण एक बहुआयामी धारणा है और इसका सम्बन्ध लोगों की सामाजिक उपलब्धियों तथा आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता से है। सशक्तीकरण एक सतत प्रक्रिया भी है, और इसकी कोई अन्तिम सीमा नही है। यदि हम महिला सशक्तीकरण की बात करें तो यह संसाधनों पर नियंत्रण अथवा शक्ति हासिल करने (भौतिक ओर वित्तीय) तथा महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले निर्णय लेने की क्षमताओं पर बल देती हैं महिला सशक्तीकरण की कोई निर्धारित परिभाषा नहीं है। महिला सशक्तीकरण की व्याख्या करने के लिए आम तौर पर जो उनकी सुलभता, आत्मनिर्भरता, अधिकारों के लिए संघर्ष, स्वतंत्रता, और निर्णय लेने की क्षमता आदि शामिल है। महिला सशक्तीकरण सतत और गतिशील दोनों ही तरह की प्रक्रियाएं है। यह महिलाओं को पराधीन रखने वाले ढांचों ओर विचारधाराओं को बदलने की महिलाओं की योग्यता में वृद्धि करती है। महिला सशक्तीकरण की पहल एवं सर्वप्रथम 1985 में नैरोबी में सम्पन्न ''अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन'' में की गयी थी। इसके बाद विश्व के सभी भागों में इसने एक आन्दोलन का रूप ले लिया।

सन 1992 में महिला सशक्तीकरण के निम्नांकित प्रतिमान सुझाए गये–

1. महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना का विकास
2. महिलाओं में आलोचनात्मक दृष्टि की क्षमता का विकास।
3. महिलाओं में सामूहिक प्रक्रिय द्वारा निर्णय निर्माण एवंउसके कार्यान्वयन की क्षमता का विकास
4. विकास प्रक्रिया में महिलाओं की समान सहभागिता सुनिश्चित करना।
5. आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए, महिलाओं की सूचना, ज्ञान तथा दक्षता में सम्पन्न करना।

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो0 अमर्त्यसेन महिला सशक्तीकरण के लिए महिलाओं की वृहत्तर भूमिका के पक्षधर हैं। वे परामर्श देते है कि महिला सशक्तीकरण नारी के अपने कुशलक्षेम के संवर्धन तक ही सीमित न रहकर अन्य महिलाओं, परिवारों तथा सम्पूर्ण समाज के लिए उपयोगी भूमिका अदा करें। यह एक स्वागतयोग्य कदम है कि 'अब नारी किसी कल्याणकारी कृपा दृष्टि की निष्क्रिय पात्र बने रहना नहीं चाहती। यह सामूहिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से विश्व की सभी

नर–नारियों के भाग्य की नव संसृष्टि में अपना योगदान करना चाहती है।

लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम

- नीना अग्रवाल ने अपनी पुस्तक 'फील्ड ऑफ वन्स ओन जेण्डर फंड राइटस इन साउथ एशिया' में महिला का सशक्त करने का सुझाव देते हुए कहा कि महिलाओं और पुरूषों में अन्तर का एक अकेला महत्वपूर्ण कारण सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण है। यह महिलाओं के कल्याण, सामाजिक हैसियत और सशक्तीकरण को प्रभावित करता है।'' अतः इस मामले को सभी स्तरोंपर तत्काल हल करने की जरूरत है। लाभप्रद रोजगार तक पहुंच में कमी एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है।
- सरकारी कार्यो में पारदर्शिता, प्रभावी चुनावी व्यवस्था, संवेदनशील एवं उततरदायी जनता आदि मिलकर महिलाओं की राजनीतिक गतिशीलता एवं सहभागिता को बढ़ा सकते हैं। इन सभी के संयुक्त प्रयासों से महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- महिला सशक्तीकरण के लिए चलाई जा रही योजनाअें तथा कार्यकमों का मूल्यांकन तथा अनुश्रवण नियमित अन्तराल पर किया जाना आवश्यक है। क्योंकि कोई भी योजना तभी तक सार्थक हो सकती है जब उसे वास्तविक धरातल पर लाया जाए और इसके लिए मूल्यांकन और अनुश्रवण की आवश्यकता है, जिसकी हमारे देश में शायद सर्वाधिक कमी है।
- वैश्वीकरण से भारत की संस्कृति में व्यापक परिवर्तन आया है वही महिलाओं की स्वतंत्रता अस्तित्व और रोजगार में बड़े पैमाने पर विस्तार की सम्भावनाए बढ़ी हैं। वह राष्ट्रीय कम्पनियों, बहुराष्ट्रीय बैंकों, अन्तर्राष्ट्रीय होटल उद्योग, एयरलांइन्स इत्यादि क्षेत्रों में महिलाओं के अत्याधिक योगदान के कारण भारती की अर्थव्यवस्था में बड़ों स्तर पर परिवर्तन देखा गया है। भारतीय स्त्री अपने परम्परागत कार्य संस्कृति से बाहर निकलकर आधुनिक और नए उद्देश्यों आदि विकासात्मक कार्यो में बढ़–चढकर अपना योगदान दे रही है। परिवर्तन संसार का नियम है और वर्तमान युग में महिलाओं की स्थिति में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अपने स्तर पर आज हर महिला अपने जीवन की नई से नई चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ रही हैं।

लैंगिक समानता और महिलाओं के बढ़ते कदम

- भारत में बैंकिंग, सूचना, प्रोद्योगिकी, मेडिकल, शिक्षा, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, अनुसंधान तकनीकी, उद्योग, खेल, उद्यमिता हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यह भी सभी जानते हैं कि देशभर में लड़कियों के दसवीं–बारहवीं के परीक्षा के परिणाम लड़कों के मुकाबले ज्यादा अच्छे रहते हैं। निजी कम्पनी के भारत में आ जाने के बाद आर्थिक उदारीकरण में भी महिलाओं के रोजगार और व्यवसायों के अवसरों में अधिक बढ़त देखी गयी है।

- महिलाए नित नए शिखरों को छू रही हैं। आज महिलाएं बस परिचालक और आटोचालक, लोको पायलट, वायुयान पायलट भी है। सर्वविदित है कि प्रीति कुमार पश्चिमी रेलवे की पहली महिला डाइवर है, वह पहली बार अक्टूबर 1910 मे मोटर वूमेन बनी। उनसे पहले सुरेखा यादव, एशिया की पहली मोटर वूमेन, बन चुकी थी। वह मध्य रेलवे की लोकल ट्रेन चलाती थी। सुशीला बेन शाह, मुम्बई में महिलाओं की टैक्सी सेवा शुरू करने वाली पहली महिला थी। जिन्होंने 100 महिला ड्राइवरों को लाइसेंस के लिए आवेदन पेश किये थे। वीरा कैब्स की प्रीति शर्मा, मेनन भी महिला ड्राइवरों को काम देने में सहायता कर रही है। इसके अलावा मुम्बई के उपनगरीय बसों में और दिल्ली की क्लस्टर बसों में महिला परिचालक कार्यरत है। वर्तमान समय में महिलाओं की व्याख्या शारीरिक नहीं उनके व्यक्तित्व, योग्यता, हौसलों, आत्मनिर्भरता के परिप्रेक्ष्य और स्वावलम्बी के रूप में होनी चाहिए।

लैंगिक असमानता के कारक

- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता, जटिल रूप में व्याप्त है। इसके कारण महिलाओं को आज भी एक जिम्मेदारी समझा जाता है। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रूढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते है, जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। 'सबरीमाला' और 'तीन तलाक' जैसे मुद्दों पर सामुदायिक मतभेद पितृ सत्तात्मक मानसिकता को प्रतिबिंबित करता है।
- भारत में आज तक व्यावहारिक स्तर (वैधानिक स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति पर महिलाओं का समान अधिकार है) पर 'पारिवारिक सम्पत्ति' पर महिलाओं का अधिकार प्रचलन में नहीं है, इसलिए उनके साथ विभेदकारी व्यवहार किया जाता है।
- राजनीतिक स्तर पर भी पंचायती राज व्यवस्था को छोड़कर उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।
- वर्ष 2017–18 के नवीनतम आधिकारिक आवधिक श्रम बल, सर्वेक्षण (Peroodic labour Force survey) के अनुसार भारतीय अर्थ व्यवस्था में महिला श्रम शक्ति (Labour Force) और कार्य सहभागिता (work participation) दर कम है। ऐसी परिस्थिति में आर्थिक मापदण्ड पर महिलाओं की आत्म निर्भरता पुरूषों पर बनी हुयी है।
- महिलाओं के रोजगार की अंडर रिपोर्टिंग (Under reporting) की जाती है, अर्थात महिलाओं द्वारा परिवार के खेतों और उद्यमों पर कार्य करने का तथा घरों के भीतर किए गए अवैतनिक कार्यों को सकल घरेलू उत्पाद में नहीं जोड़ा जाता है।
- शैक्षिक कारक जैसे मानकों पर महिलाओं की स्थिति पुरूषों की अपेक्षा कमजोर है। हलांकि लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में पिछले दो दशकों में वृद्धि हुई है तथा माध्यमिक शिक्षा तक लैंगिक समानता की स्थिति प्राप्ति हो रही है, लेकिन अभी भी उच्च शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्ष के क्षेत्र में महिलाओं का नामांकन पुरूषों की तुलना में काफी कम है।

- सोमन – द – बुआ जैसी नारीवादी लेखिका का यह कथन कि महिला पैदा नही होती अपितु समाज द्वारा बनायी जाती है। यह सही प्रतीत होता है । जब हम सम्पूर्ण परिवेश में स्त्रियों की स्थिति का अवलोकन करते हैं, तो पहनावे से लेकर काम करने के क्षेत्र और कैरियर तक लैंगिक आधार पर निर्धारित कर दिए गये हैं। लिंगभेद प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन लैंगिक भेदभाव सामाजिक संस्कृति की देन है। इस प्रकार लैंगिक भेद–भाव के परिणाम स्वरूप समाज में महिलाओं की समस्याओं का अम्बार लगा हुआ है। लैंगिक समानता लैंगिक सेसिटाइजेशन एवं जेंडर बजटिंग जैसी अवधारणाएं व्यवहारिक कम सैद्धान्तिक अधिक लगती हैं।

विश्व के अधिकांश देशों में महिलाओं का स्तर पुरूषों के समान नहीं है। वर्तमान सामाजिक ढांचे में पुरूषों को अधिक अधिकार, संसाधन एवं निर्णय करने की शक्ति प्राप्त है। महिलाओं को परम्परागत भूमिका सौंपी गई है। गांवों में महिलाएं खेती का अधिकांश कार्य जैसे पशु पालन, बीज छींटना, पौधारोपण, खाद पानी, फसल की कटाई, एवं उन्हें घर लाने तक सभी कार्य करती हैं फिर भी महिलाओं को कृषक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। एक समान कार्य के लिए पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं को कम वेतन, कम मजदूरी दी जाती है। नौकरी में भर्ती एवं पदोन्नति में भी भेद–भाव किया जाता है, जीवन भर मां–पिता की सेवा के बावजूद हिन्दू समाज में मुखाग्नि देने का अधिकार केवल पुत्र को ही है, लेकिन अब परिस्थितियों में बदलाव की शुरूआत की गयी है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने पर भी घर के मुख्य निर्णयों की जिम्मेदारी उन्हें नहीं सौंपी जाती।

लैंगिक समानता बढ़ाने के प्रयास

- समाज की मानसिकता में धीरे–धीरे परिवर्तन आ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर गंभीर रूप से विमर्श किया जा रहा है। तीन तलाक, हाजी अली दरगाह में प्रवेश जैसे मुद्दों पर सरकार तथा न्यायालय की सक्रियता के कारण महिलाओं को उनका अधिकार प्रदान किया जा रहा है।

- राजनीतिक प्रतिभाग के क्षेत्र में भारत लगातार अच्छा प्रयास कर रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप वैश्विक लौंगिक अन्तराल सूचकांक 2020 के राजनीतिक सशक्तीकरण और भागीदारी मानक पर अन्य बिन्दुओं की अपेक्षा भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है।

- भारत ने मैक्सिको कार्य योजना (1975) नैरोबी अग्रदर्शी (Provident) रणनीतियॉ (1985) और लैंगिक समानता तथा विकास एवं शांति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र द्वारा 21वीं शताब्दी के लिए अंगीकृत ''बीजिंग डिक्लरेशन एवं प्लेटफार्म पर ऐक्शन को कार्यान्वित करने के लिए और कार्यवाइयां एवं पहले जैसे ''लैंगिक समानता की वैश्विक पहलों'' की अभिपुष्टि की है।

- 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'वन स्टाप सेंटर योजना', 'महिला हेल्प लाइन योजना' और 'महिला शक्ति केन्द्र' जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला

सशक्तीकरण का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप लिंगानुपात और लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में प्रगति देखी जा रही है।

- आर्थिक क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता हेतु मुद्रा और अन्य महिला केन्द्रित योजनाएं चलाई जा रही हैं।
- लैंगिक समानता को दूर करने के लए कानूनी प्रावधानों के अलावा किसी देश के बजट में महिला सशक्तीकरण तथा शिशु कल्याण के लिए किये जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को 'जेण्डर बजटिंग' कहा जाता हे। दरअसल 'जेण्डर बजटिंग' शब्द विगत दो तीन दशकों में वैश्विक पटल पर उभरा है। इससे जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जाता है।

लैंगिक समानता की चुनौतियाँ

भारत में श्रम शक्ति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 29% है, जबकि 2004 में यह 35% था। भारत में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला आधे से अधिक श्रम अवैतनिक है और लगभग पूरा श्रम अनौपचारिक और असुरक्षित है। अधिकतर क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नही मिलता, जिसमें व्यापार जगत के शीर्ष पद शामिल है। हांलाकि महिलाए कृषि से जुड़ी 40% कार्य करती है लेकिन भारत में केवल 9% भूमि पर उनका नियंत्रण है। महिलाएं औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर हैं। भारत की लगभग आधी महिलाओ का कोई बैंक खाता नही है, जिसे वे स्वयं नियंत्रित करती हो। 60% महिलाओं के नाम पर कोई मूल्यवान सम्पत्ति नहीं है। हैरत नहीं कि देश की जी0डी0पी0 में महिलाओं की हिस्सेदी केवल 17% है जबकि उनका विश्व औसत 37% है। इसके अतिरिक्त महिलाए शारीरिक रूप से अधिक असुरक्षित है। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 53.9% है। राजधानी दिल्ली में 92% महिलाओं ने यौन या शारीरिक हिंसा का सामना किया है।

महिला सशक्तीकरण का लक्ष्य केवल कुछ अभियोजन वर्ग की महिलाओं के उच्च पदों पर आसीन होने से पूरा नही हो जाता। शिक्षा और प्रतिनिधित्व के लाभ के वितरण की दृष्टि से गांव, कस्बे और मलिन बस्तियों में रहने वाली अनाम महिलाएं महिला सशक्तीकरण में ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। वे जन सामान्य (गरीब घरों की) महिलाओं का राशन कार्ड अथवा पहचान पत्र बनवाने, वृद्धा पेंशन अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण दिलवाने, 'महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजना' में काम दिलवाने अथवा स्वयं सहायता समूह में पंजीकृत करवाने आदि कार्यों में मदद करती हैं। उच्च पद धारक महिलाएं इस तरह के कार्य नहीं करती। महिला मुख्यमंत्री के कार्यकाल में महिलाओं के विरूद्ध अपराध की घटनाओं में कोई कमी नही होती, इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभिजन महिला कार्य संस्कृति के आधार पर पुरूष प्रधान समाज के हिस्से की तरह व्यवहार करने लगती है। अतः महिला सशक्तीकरण के लिए सामान्य महिलाओं का सामान्य विकास अनिवार्य है।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज में महिलाओं की जैसे–जैसे भूमिकाएं बढ़ेगी, पुरूषवादी मानसिकता की सर्वश्रेष्ठता का अहंकार टूटेगा जो घर में महिला के साथ होने वाली मानसिक प्रताडना को समाप्त करने की दिशा में प्रभावी होगा। एक आत्मनिर्भर महिला अपने जीवन साथी का चुनाव खुद करेगी, तो समाज का दहेज रूपी दैत्य का प्रभाव भी धीरे–धीरे खत्म होगा। इसके लिए विभिन्न सरकारी गैर सरकारी

संस्थाओं में महिला कर्मचारियों की भर्ती पर बल देना चाहिए।

राष्ट्र की नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर महिलाओं से जुड़े मुद्दे को बेहतर ढ़ंग से समझने और उनके हितों के लिए नीति निर्माण करने में भी मदद मिलेगी।

सन्दर्भ

- पान्डे, राम शकल, लैंगिक मुद्दे एवं मानवाधिकार शिक्षा, विनोद प्रकाशन ।
- मीना, मीनाक्षी, महिला सशक्तीकरण एवं लैंगिक समानता।
- कुमार, अमित, लैंगिक मुद्दे एवं मानवाधिकार की शिक्षा, ठाकुर प्रकाशन ।
- त्रिपाठी, प्रतिमा, लिंग, विद्यालय और समाज।
- राणा, कुसुम, समाज माध्यमों में लैंगिक असमानता।
- http://www.jagran.com
- http://www.jansatta.com
- http://hindi.feminismindia.com
- drishtiias.com